रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 76] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 11, 1972/चैत्र 22, 1894

No. 76] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 11, 1972/CHAITRA 22 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF FOREIGN TRADE

### PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

*New Delhi, the 11th April 1972*

SUBJECT.—*Import policy for Newsprint—Printing and Writing Paper (excluding laid marked paper) which contains mechanical wood pulp amounting to not less than 70 per cent of fibre contents—(S. No. 44/V)—for the year April, 1972—March, 1973.*

**No. 53-ITC(PN)/72.**—The import policy for Newsprint (S. No. 44/V) for the year April, 1972—March, 1973 is given in Annexures I to V to this Public Notice and shall be applicable with effect from the 1st April, 1972.

ANNEXURE I

| Part & S. No. of ITC Schedule | Description | Licensing Authority | Policy for Established Importers. | Validity of licence. | Remarks. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 44/V | White printing paper (excluding laid marked paper) which contains mechanical wool pulp amounting to not less than 70% of the fibre content. | C.C.I. & E. | NIL | Twelve months. | I. Licences issued for newsprint will also be valid for import of water-lined newsprint provided it contains mechanical wood pulp amounting to not less than 70% of the fibre content and its weight is not less than 51—52% ±4% grammes per square metre.<br>II A.U. for publishers and/or printers of newspapers and periodicals.<br>III A.U. applications in 'J' Form from publishers and/or printers of newspapers and periodicals for newsprint and art paper will be submitted, in duplicate, and complete in all respects, through the Registrar of Newspapers for India, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi.<br>IV Applications for import licences for newsprint and art paper should reach the Registrar of Newspapers for India, New Delhi, as early as possible, but not later than the 1st September, 1972.<br>V The basic entitlement of individual newspapers/periodicals for newsprint will be determined by the Registrar of Newspapers for India, New Delhi on the basis of its actual consumption (taking into account its average circulation, average number of pages and the average page-area actually published) in 1970-71 or 1971-72 whichever is less, except in |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | the case of daily newspapers whose actual number of pages was more than an average of 10 during either 1970-71 or 1971-72. For daily newspapers with an average of more than 10 pages, the basic entitlement will be calculated on an average of 10 pages and either the average circulation in 1970-71 or the admissible circulation in terms of Newsprint Allocation Policy for 1971-72 (announced *vide* Public Notice No. 36-ITC(PN)/71 dated 7-4-1971) plus increases admissible in terms of Remark VII of the said Public Notice, whichever is more. VI. The entitlement of newsprint will be met by issue of import licence(s) or authorisation(s) in favour of applicants in terms of Para V above in the following manner :— |

| Annual entitlement. | Quantity to be allowed in imported newsprint. | Quantity to be allowed in indigenous in newsprint manufactured by Nepa Mills | Quality to be authorised direct licence against free Resources | To be authorised against canalised imports. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | *Standard newsprint and indigenous newsprint* | | |
| *Dailies: (including their Sunday Editions)* | | | | |
| (*a*) Less than 100 tonnes. | 100% | Nil | 100% | Nil |
| (*b*) 100 tonnes or more but less than 400 tonnes. | 100% | Nil | TO BE DETERMINED BY THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS FOR INDIA | |
| (*c*) 400 tonnes or above but less than 1,000 tonnes. | 90% | 10% | | |
| (*d*) 1,000 tonnes or above but less than 2,000 tonnes. | 82·5% | 17·5% | | |
| (*e*) 2,000 tonnes and above. | 75% | 25% | | |
| *Periodicals :* | | | | |
| (*a*) Less than 100 tonnes. | 100% | Nil | 100% | Nil |
| (*b*) Over 100 tonnes. | 100% | Nil | TOBE DETERMINED BY THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS FOR INDIA | |
| *Glazed Newsprint* | | | | |
| All entitlement. | 100% | Nil | 100% | Nil |

*Notes :*

1. Standard newsprint licensed from 'free resources' will have to be imported by newspapers against contracts entered into with specific suppliers in foreign countries by State Trading Corporation of India Ltd. Since the suppliers do not entertain orders in lots of less than 25·00 tonnes, newspapers with entitlement less than 25·00 tonnes will be granted a direct licence if they arrange imports through an established importer and specify the same in the 'J' Form. Otherwise, they will be granted authorisation on S.T.C. of India Ltd.

2. (a) Glazed/Rotogravure newsprint will be allotted to glazed users of periodicals up to the level of their glazed/rotogravure entitlement in 1971-72; the balance of their entitlement will be released in unglazed imported newsprint. Allocation of glazed/rotogravure newsprint will be made to such periodicals, also, which have not been granted glazed newsprint or Art paper in the past, for 4 pages, in accordance with their basic entitlement, as fixed under Remark V.

   (*b*) Full entitlement to periodicals using 55 grammes variety will be released in rotogravure. To periodicals using 60 grammes, their full entitlement will be released in glazed, where their total entitlement is less than 100 tonnes; to others glazed (60 grammes) and rotogravure (55 grammes) will be released in equal proportion.

3. Allotment to all categories will be made in reels only. An additional quantity for conversion of reels into sheets at the rate of 10% in respect of standard newsprint will be granted to newspapers with entitlement up to 25·00 tonnes.

4. Nepa newsprint in lots of less than 10·00 tonnes will normally not be allotted.

5. Allocation of newsprint in accordance with the entitlement as fixed is subject to availability of foreign exchange or newsprint or either or both. In case either or both fall short, appropriate cuts will be made.

6. The entitlement for standard newsprint as also Nepa newsprint will be worked out on 53 grammes substance. Additional 10% on the entitlement of Nepa newsprint so worked out will be released as compensation for higher grammage.

7. On applications received after 1-9-1971, cuts will be made on entitlement as follows:—

| | |
|---|---|
| (*i*) applications received upto 30-11-1972 . . . . . | 10% |
| (*ii*) applications received beyond 30-11-72 and upto 1-2-1973 . . . | 20% |
| (*iii*) applications received beyond 1-2-1973 and upto 31-3-1973 . . . | 40% |

8. The total entitlement for standard newsprint as also of Nepa newsprint is worked out on 53 grammes substance. This includes 10% on entitlement as compensation for wastage either in transit or in the machine room. The compensation for wastage will now stand reduced 7%

VII. *Increases*

Dailies and periodicals will be allowed, on application, increases over the circulation on which the basic entitlement is fixed under Remark V in the following manner:—

(a) *Dailies :*

| | |
|---|---|
| (*i*) Dailies with circulation upto 1,00,000 copies. | 10% increase over their basic entitlement, the increase to be granted in imported newsprint. |
| (*ii*) Dailies with circulatio n of more than 1,00,000 copies. | 3% increase over their basic entitlement, the increase to be granted in imported newsprint. |

(b) *Periodicals :*

| | |
|---|---|
| (i) Periodicals with circulation upto 1,00,000 copies. | 10% increase over their basic entitlement, the increase to be granted in imported newsprint. |
| (ii) Periodicals with circulation of more than 1,00,000 copies. | 5% increase over their basic entitlement, the increase to be granted in imported newsprint. |

1. Page-increase will be granted to weeklies on specific request in lieu of the increases admissible to them on the above basis (VII)(b)—an increase of 2 pages in standard size upto 16 pages in standard size over the number of pages and size on which their basic entitlement in terms of Remark (V) is fixed.

2. Increase to periodicals using glazed newsprint will be granted in unglazed imported newsprint.

*Notes* :

(c) 20% increase will also be allowed, on application, to daily newspapers in the number of pages—within the ceiling of 10—over the average number of pages on which the basic entitlement is fixed under Remark V.

(d) Increase will be granted to existing dailies and periodicals over the increases mentioned in (a), (b) and (c) above, if even by the grant of these increases their entitlement is less than the entitlement to which they would be admissible if treated as a new daily/periodical under Remark (IX) below.

VIII. With the exception of the allotment mintioned in Remark VII, no increase allocation of newsprint will be made to newspapers/periodicals on account of increase in their circulation, number of pages, page-area and periodicity over their entitlement as fixed in Remark V. However, within the authorised quantity of newsprint authorised for the licensing period, each newspaper/periodical will be free to inrease circulation by reducing the number of pages, page-area and periodicity, but will not be free to increase the number of pages, page-area and periodicity by reducing circulation, to meet its individual requirements. This flexibility will not be admissible to daily newspapers for increases admissible under Remark VII(c) which are to be utilised only for increase in number of pages and not for increase of circulation. Newspapers/periodicals belonging to a Common Ownorship Unit will not be permitted to adjust between them the quota allotted to each of them even when the publications bear the same title/name.

*Notes* :

Newspapers/periodicals allotted newsprint under Remarks V and VII shall not consume or use newsprint in excess of the quantity allotted, as provided for under Clause (3) read with Sub-clause (3)(A) (Amendment No. 8-26-62-TNP dated 29-12-1962) of the newsprint Control Order No. CH/T-18(a)/62 dated 17-1-1962 issued under Section 3 of the Essential Commodities Act 1955.

IX(*a*) *Clearance regarding availability of newsprint for new periodicals and newspapers* :—Publishers of new daily newspapers and periodicals shall obtain clearance regarding availability of newsprint from the Registrar of Newspapers for India, before commencing publication. Information as per Annexure IV shall be furnished while applying for clearance under the Allocation Policy.

(b) *New Dailies* :—New daily newspapers will be allowed an initial quota to build up an average circulation upto 10,000 copies of 8 pages of standard size (393·75 sq. inches) per publishing day during the first three months after commencement of publication. For the first three months, imported newsprint from State Trading Corporation's stocks will be released, provided the applicants execute bonds duly guaranteed by scheduled banks, for 75% of the value appied for under Column 10 of Actual Users' application ('J' From). The bonds, which are intended to ensure that the imported newsprint thus granted is utilised for publishing the proposed newspapers, will be cancelled on production of documentary evidence to the satisfaction of the Registrar of Newspapers for India or the Chief Controllor of Imports and Exports to show that the newsprint has been utilised for the publication of the newspapers concerned. After three months of regular publication, the new dailies will be required to produce evidence (Chartered Accountant's Certificate in the form given in Annexure II to this Public Notice) of the average circulation achieved and the average page-area and number of pages printed during the first three months, and their entitlement will be fixed on the average circulation actully achieved and the average number of pares and page-area actually printed in the first three months subject to a maximum of 15,000 copies of 8 pages of standard size.

(c) *New Weeklies, Tri-Weeklies, Bi-Weeklies, Fortnightlies and Monthlies* : New Weelklies, triaweeklies, biaweeklies, fortnightlies and monthlies will be allowed initial quota to build up an average circulation of upto 10,000 copies of 8 pages of standard size (393·75 sq. inches) per publishing day durin gthe first three months after commoncement of publication. For the first three months, imported newsprint will be released, provided the applicants execute bonds dul

guaranteed by scheduled banks, for 75% of the value applied for under Column 10 of Actual Users' application ('J' Form). The bonds which are intended to ensure that the imported newsprint thus granted is utilised for publishing the proposed newspapers will be cancelled on production of documentary evidence to the satisfaction of the Registrar of Newspapers for India or the Chief Controller of Imports and Exports to show that the newsprint has been utilised for the publication of the newspapers concerned. After three months of regular publication, the new weeklies, tri-weeklies, bi-weeklies, fortnightlies and monthlies will be required to produce evidence (Chartered Accountant's Certificate in the form given in Annexure II to this Public Notice) to show the average circulation achieved and the average page-area and the number of pages printed during the first three months, and their entitlement will be fixed on the avarage cirrculation actually achieved and the average number of pages and page-area actually printed in the first three months, subject to a maxiumm of 15,000 copies and 8 pages of standard size except fortnightlies and monthlies for which quota will be admissible upto a maximum of 15,000 copies and 16 pages of standard size.

(d) *New Periodicals (Other than weeklies, Tri-Weeklies, Bi-Weeklies, Fortnightlies and Monthlies :*—No quota will be allotted to such periodicals for the first three months. After three months of regular publication, publichers of such periodicals should submit an application, in Actual Users' Form along with information contained in Annexure IV and a Chartered Accountant's Certificate showing the average circulation achieved and the average page-area and number of pages printed during the first three months. Quota will be allotted to new periodicals for the rest of the licensing period for the average circulation actually achieved and the average number of pages and page-are actually printed during the first three months subject to a maximum of 15,000 copies and 16 pages of standard size for these preiodicals.

(e) Existing newspapers which did not obtain clearance for the use of newspapers or licence/authorisation in 1971-72 will be treated as in para IX (a), (b), (c) and (d) above.

X. No newsprint will be made available for existing newspaper(s) belonging to a 'Commond Ownership Unit' which has/have not been granted newsprint quota and for additional newspaper(s) sponsored/acquired by a 'Common Ownrship Unit' nor will they be allowed to bring out new newspaper(s)/periodical(s) from their authorised quota.

*Note* :—'Common Ownership Unit' for the purpose of this Notice means newspaper establishment or concern owning to or more news interest newspapers, including at least one daily irrespective of the centre(s) of publication and language(s) of such newspapers.

XI. The following categories of periodicals will not be entitled to the allocation of newsprint notwithstanding that they are classified as newspapers :—

(a) Journals published primarily to promote sale of goods or services;

(b) House Journals/magazines brought out by individuals/firms/industrial concerns,

(c) Price lists and catalogues;

(d) Publications intended for free distribution;

(e) Fiction;

(f) Racing Guides;

(g) School/College magazines; and

(h) Teaching Journals/Teaching guides.

XII. If any newspaper/periodical had not fully utilised the quantity allocated in 1971-72 including the increases and Mid-term Election quota sanctioned in that period, the unutilised quantity shall be adjusted from its entitlement for 1972-73. To enable the Retistrar of Newspapers for India to determine the consumption of newsprint in 1971-72, the particulars (monthwise) of circulation, pages, page-area and number of publishing days in 1971-72 should be furnished by the newspaper (s)/periodical(s) in the form given in Annexures II and V to this Public Notice. The consumption in 1971-72 will be worked out on the actual number of days published in the poriod. The particulars furnished in/Annexure II referred to aove should be certified by a Chartered Accountant. The Chartered Accountant's Certificate need not be submitted where the circulation of a newspaper/periodical is less than 2,000 copies per publishing day.

*Note* :—Allotment obtained in 1971-72 under schemes for Export Promotion etc. will also be taken into account for determining quantity utilised/held in stock by the newspapers in 1971-72. For this purpose information shall be furnished in Annexure V to Public Notice/ Column 11 and 12 of Actual Users' application ('J' Form).

XIII. The number of copies distributed free, unsold returns or any other copies printed but neither sold nor distributed free will be taken into consideration for purpose of allotment/consumption of newsprint, provided these represent a reasonable percentage of the print-order and not in any case exceeding the following limits:—

| Circulation | Dailies tri-and bi-weeklies | Weeklies and fortnightlies | Monthlies, quarterlies and others |
|---|---|---|---|
| Upto 2,500 . . . | 10% | 20% | 25% |
| Between 2,500 and 5,000 | 10% | 15% | 20% |
| Between 5,000 and 10,000 | 10% | 10% | 15% |
| Above 10,000 . . | 5% | 5% | 10% |

XIV. Where the nespapers/periodicals have not supplied copies of their issues stated to be published in the year 1971-72, as required under Section 11B of the Press & Registration of Book Act, 1867, read with Rule 5 of Registration of Nwspapers (Central) Rules 1956, the consumption worked out *vide* Remark XII above, will be subjected to a cut as follows:—

| | |
|---|---|
| Regularity of more than 50% and less than 75% . . . . . | 25% |
| Regularity of more than 25% and less than 50% . . . . . | 50% |

No quota willordinarily be released to newspapers whose regularity is less than 25%

XV. Small newspapers whose entitlement for newsprint is and who apply for a licence for less than 40·00 tonnes per annum shall be exempted from payment of import licence application fee and production of Income-tax Verification Number. This exemption will not cover applications for art paper quota.

*XVI.* If any Actual User is not in a position to import newsprint or art paper against the licence issued, the Actual User may apply for a 'letter of authority' in favour of the party through whom it is desired to effect import, provided such party holds quota certificate(s) for newsprint or are the sole agents of the foreign supplies.

XVII. *Art Paper* :

(a) Licences for art paper for cover pages and/or inside pages will be issued only to those periodicals which were granted licences for art paper for cover pages and/or inside pages in 1971-72.

(b) Where art paper is licensed for cover pages for periodicals printed on newsprint, the grammage per square metre will not exceed 100 grammes for periodicals having upto 100 pages per publishing day and 135 grammes in case where the number of pages exceeds 100. A higher grammage may be allowed, on the merits) of each case for cover pages of periodicals printed entirely on art paper. The decision of Registrar of Newspapers for India in this behalf shall be final.

(c) Entitlement for art paper for cover pages and/or inside pages will be worked out on the basis of the number of cover and/or inside pages published on art-paper and average circulation during 1971-72. subject to a maximum of the allocation made in 1971-72 in respect of imported and indigenous art-paper. A Chartered Accountant's Certificate in the form given in Annexure-III to this Public Notice should be furnished in addition to Chartered Accountant's Certificate in the form given in Annexure II to this Public Notice.

XVIII. Licences for art paper will be issued on annual basis, subject to the conditions prescribed for annual licences in the Red Book for they ear April '72-March '73. Licences for glazed and standard newsprint will also be issued on annual basis. These licences will, however, be subject to the condition that they can be utilised only upto 50% of the quantity and value covered by them upto the 30th September, 1972. It will not be necessary for the actual users to return licences for glazed and standard newsprint for endersement in respect of utilisation of the balance 50% . Licences issued for standard and glazed newsprint for an annual entitlement upto Rs. 20,000/- in terms of value can be utilised in one lot at any time within their validity and will not be subject to the condition regarding utilisation of 50% only upto the 30th September, 1972.

XIX. For the purpose of this Public Notice, the Registrar of Newspapers for India may mak such marginal adjustments as may be necessary.

ANNEXURE II

*Form of Chartered Accountant's Certificate regarding Circulation etc, for the period April 1971—March 1972.*

(To be typed on the letter head of the Chartered Accountant)

1. Name of News paper/Periodical.
2. Place of pulication.
3. Language.
4. Periodicity.

| | April 71 | May 71 | June 71 | July 71 | August 71 | Sept. 71 | Oct. 71 | Nov. 71 | Dec. 71 | Jan. 72 | Feb. 72 | March 72 | Average for the the period from 1-4-71 to 31-3-72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) Average number of copies printed monthwise, per publishing day from 1-4-71 to 31-3-72. | | | | | | | | | | | | | |
| (b) Average number of copies sold, monthwise, per Publishing day from 1-4-71 to 31-3-72. | | | | | | | | | | | | | |
| (c) Average number of copies of distributed free, *monthwise* per publishing day (including complimentary, voucher, exchange bonus, sample and office copies) from 1-4-71 to 31-3-72. | | | | | | | | | | | | | |

(d) Average number of month-wise unsold returns and other copies printed, but not included in (b) & (c).

(e) Average size of the page month-wise, of the newspaper/ periodical in sq. inches from 1-4-71 to 31-3-72.

(f) Average number of pages, month-wise, of the newspaper/ periodical per publishing day from 1-4-71 to 31-3-72.

(g) Actual number of publishing days, month-wise from 1-4-71 to 31-3-72.

Signature of the Publisher

## CERTIFICATE OF THE CHARTERED ACCOUNTANT

I/we have examined the books and account of———————————————————————
(name of the paper/language & periodicity)
published from———————————(Address)———————————————————————
for the period 1.4.1971 to 31.3.1972 and have obtained all the information and explanations required by us. In my/our opinion, the statement set-forth above reflects true and correct analysis of circulation, pages, size and number of publishing days for the period from 1.4.71 to 31.3.1972 to the best of my /our information and belief and according to the explanation given to me/us as shown by the books of account, etc.

Signature———————————————

(Name in Block Letters)

Date———————————
Stamp of the Chartered Accountant.

Chartered Accountant.
Registration No.
Address :

---

*N.B.*—The chartered Accountant's Certificate regarding average circulation per publishing day showing separately the average number of copies printed, sold and distributed free, etc., number of pages and page-area should be furnished, if month-wise average circulation exceeds 2,000 copies. If the month-wise average circulation is 2,000 copies or below, particulars in the above annexure should be furnished under the signature of the Publisher.

ANNEXURE III

*Statement showing consumption of art paper for the publication of*

_____

_____

(Title of the paper, language and periodicity and place of publication) during the licensing period April 1971—March 1972

(*To be typed on the letter-head of the Chartered Accountant*)

| Sl. No. | Grammage of art paper | Imported | | Indigenous | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Quantity (In tonnes) | Value (In Rs.) | Quantity (In tonnes) | Value (In Rs.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Signature of publisher _____

Name in Block letters _____

Place : _____

Date : _____

CERTIFICATE BY CHARTERED ACCOUNTANT

I/we _____ registered Chartered Accountant of _____ (Full address) do hereby solemnly declare that I/We have examined the books and records of _____ (Title of the paper, language and periodicity), published from _____ (Address) for the period from 1st April, 1971 to 31st March, 1972 and certify that to the best of my/our information and belief and according to explanation given to me/us the statement soughtforth above reflects truely and correctly the consumption of imported and indigenous art paper during the aforesaid period for the publication of the aforesaid paper.

Further certify that the average number of pages for which consumption of Art paper as above, has been claimed are included/not included in the information furnished in Annexure II.

Signature _____

Name in Block letters _____

Chartered Accountant's

Registration No. _____

Place : _____

Date : _____ *Stamp of the Chartered Accountant(s)*

ANNEXURE IV

NOTES : 1. The following clearance particulars are required to be furnished in the case of all new dailies and periodicals, applying for newsprint. Existing dailies and periodicals which were not allowed newsprint in the past have also to furnish the particulars.

2. These clearance particulars may be sent alongwith an 'application (in duplicate) in the latest Actual Users' form (Form 'J').

3. All answers should be given in words. Dashes or cross marks should not be used.

1. Title of the newspaper.

2. Language.

3. Periodicity

(In the case of a daily, it may be stated whether the paper is published on all the seven days of a week or less. In the case of a weekly, it may be indicated whether it is published every week or four times in a month).

4. Full postal address of the paper.

5. In case the paper has not yet commenced publication :

(a) the proposed date of publication.

(b) the proposed size of *one* page of the paper :

(i) Length————————————————Centimetres

(ii) Width————————————Centimetres

(iii) Page area————————ASq. Centimetres

(c) Average number of pages per copy of the proposed paper.

(d) The proposed average circulation :

(i) Average number of copies proposed to be printed.

(ii) Average number of copies expected to be sold.

6. (a) Name and address of owner———————————— ————————————
Name Address

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (b) If the owner is a company, firm, etc., name(s), address(es), etc. of Director(s), Share-holders, partners, etc. | Name | Address | Whether Director, Partner, etc. | Percentage of share held in the company. |
| | | | | |

(c) Are/Were the owner (which term includes a company, firm, etc.) and any of the persons whose names required to be given against (b) above associated at present or at any time since 1962 with the publication of any other paper ?

(d) If the reply to (c) above is in the affirmative, names of owner etc. and details of the newspapers with which they are associated may be given in the following form :

| Sl. No, | Name of owner etc. | Details of paper with which associated | | Period of Association | | Capacity in which associated. | If a shareholder in the company etc. mentioned in col. 4, percentage of shares held. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Title, Language, periodicity and place of publication, | If the paper is run by a company etc. | From | To | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

7.(a) Are/were any members of the family† of the owner or any of the persons whose names are required to be given against 6(b) above associated at present or at any time since 1962 with the publication of any other paper ?@

(b) If the reply to (a) above is in the affirmative, names of the members of # family and details of the newspapers with which associated may be given in the following form.

(i)

| Sl. No. | Name of Owner etc. whose member of family is associated with another paper. | Name of the member of the family concerned. | Address of the member of the family | Relationship with the owner etc. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

(ii)

| Sl. No | Name of the member of family. | Details of papers with which connected. | | Period of Association | | Capacity in which associated | If a share holder in the company etc. memtioned in col. 4 percentage of shares held. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Title, language, periodicity and place of publication | If the paper is run by a company etc. the name of the company etc. | From | To | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

8. Classification% (Nature of contents) of the paper.

Signature of the Publisher———————

Name (in Block letters)———————

Place———————

Date———————

*Item 6(b) —Information is required to be given about the following categories of persons:—

| Sl. No. | Ownership type | Category of persons in respect of whom information is required. |
|---|---|---|
| 1. | Company | (a) Directors.<br>(b) Shareholders holding a share of 10% or more. |
| 2. | Firm. | Partners. |
| 3. | Society | (a) Members holding a share of 10% or more.<br>(b) Office-bearers and members of the Managing body. |
| 4. | Association | Office-bearers and members of the managing body. |
| 5. | Trust | Trustees. |

@*Items* 6(c) *and* 7(a) —Information about association with the following categories of papers is also to be given:—

(1) A different edition of the paper for which newsprint is being applied for.

(2) A paper with the same title as that of the paper for which newsprint is being applied for, but in a different language or with a different periodicity.

†*Item* 7(a)—Member of family for the purpose of this statement means a member of family. (father, mother, wife/husband, brother, brother's wife, sister, son, daughter-in law, daughter, etc). who are members of a joint family or are dependent on the owner, Director etc.

% *Item* 8—The paper may be placed in one of the following categories:
News and Current Affairs; Literary and Cultural; serialised fiction; religion and philosphy; Commerce and Industry; Journals meant primarily to promote sale of goods or services; House Journals/Magazines brought out by individuals/firms/industrial concerns; price lists and catalogues; Medicine and Health, Film; Social Welfare; Labour; Education School/College Magazines; Teaching Journals/Teaching Guides; Law and Public Administration; Engineering and Technology; Agriculture and Animal Husbandry; Children, Tranport and Communication; Insurance, Banking and Cooperation; Science; Finance and Economics; Women; Art, Radio and Music, Sports; Racing Guides.

[ANNEXURE]V

*Statement showing consumption of newsprint for publication of newspapers/periodicals during the period from* 1-4-1971 *to* 31-3-1972.

| Sl. No. | Title to the paper, its language, periodicity and place of publication. | Consumption of Newsprint (in tonnes) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Glazed | | Rotogravure | Unglazed (imported) | Nepa | Total | Remarks |
| | | gms. | gms. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Signature of the Publisher.————————

Name in Block letters————————

Place————————

Date————————

*Note* :—Consumption of newsprint against regular entitlements and export promotion entitlements to be furnished separately.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

## विदेश व्यापार मंत्रालय

### सार्वजनिक सूचना

### आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 11 अप्रैल 1972

विषय :—वर्ष अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 के लिए क्रम संख्या 44/पांच अखबारी कागज मुद्रण तथा लिखने के लिए कागज (लेड मार्क कागज को छोड़कर) जिसमें यंत्रिक काष्ठ लुगदी अन्तर्विष्ट है जो तन्तुक अंशों के 70 प्रतिशत की मात्रा से कम नहीं है, के लिए आयात नीति ।

संख्या 53 आई० टी० सी० (पी० एन०)/72 वर्ष अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 के लिए अखबारी कागज (क्रम संख्या 44/पांच) के लिए आयात नीति इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट 1 से 5 में दी गई है और यह 1 अप्रैल, 1972 से लागू होगी ।

परिशिष्ट 1

| आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची की क्रम संख्या और भाग | ब्यौरा | लाइसेंस प्राधिकारी | निर्धारित आयतकों के लिए नीति | लाइसेंस की वैधता | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 44/पांच | सफेद अखबारी कागज (लेड मार्क कागज को छोड़कर) जिसमें रेशे की मात्रा के कम से कम 70 प्रतिशत के बराबर क्रिया से तैयार की गई लकड़ी की लुगदी हो । | मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय | कोई नहीं | 12 मास | 1—अखबारी कागज के लिए जारी किया गया लाइसेंस चमकीले (वाटर लाइन्ड) अथवा कागज के आयात के लिए भी वैध होगा, बशर्ते कि इसमें रेशे की मात्रा के कम से कम 70 प्रतिशत के बराबर यांत्रिक क्रिया से तैयार की गई लकड़ी की लुगदी हो और प्रति वर्ग मीटर उसका वजन 51–52–4 प्रतिशत ग्राम से कम न हो ।<br>2—समाचार पत्रों और नियतकालिक पत्रों के प्रकाशकों और/या मुद्रकों के लिए वास्तविक उपभोक्ता । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3-प्रकाशकों और/या समाचारपत्रों या नियतकालिकों पत्रों के मुद्रकों द्वारा अखबारी कागज और आर्ट पेपर के लिए 'जे' फार्म में वास्तविक उपयोक्ता आवेदन पत्र की दो प्रतियां पूरी तरह से भर कर भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजें । |
| | | | | | 4—अखबारी कागज और आर्ट पेपर के आयात लाइसस के लिए आवेदन पत्र भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार, नई दिल्ली के पास यथाशीघ्र पहुंच जाने चाहिए, किन्तु 1 सितम्बर, 1972 के बाद नहीं । |
| | | | | | 5—किसी समाचार पत्र/नियतकालिक पत्र को अखबारी कागज देने की मूल हकदारी का निश्चय भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार, नई दिल्ली करेंगे । इसका आधार उस समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र को अखबारी कागज की वास्तविक खपत होगी, जो औसत प्रचार संख्या का, औसत पृष्ठ संख्या और वास्तव में प्रकाशित पृष्ठ क्षेत्र को ध्यान में रखकर निश्चित की जायेगी । 1970—71 या 1971—72 के वर्ष की खपत में से जिस वर्ष की खपत कम होगी उसी को वास्तविक खपत का आधार माना जाएगा । यह आधार उन दैनिक समाचारपत्रों के लिए नहीं होगी जिनकी वास्तविक पृष्ठ संख्या 1970—71 या 1971—72 में औसतन दस पृष्ठों से अधिक थी । दस से अधिक औसत पृष्ठ संख्या वाले दैनिक समाचारपत्रों को अखबारी कागज देने की मूल |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | हकदारी का निश्चय करते हुए दस पृष्ठों के अधिकतम औसत के अतिरिक्त 1970–71 की औसत प्रचार संख्या या 1971–72 की अखबारी कागज देने की नीति के अनुसार मान्य प्रचार संख्या को भी ध्यान में रखा जाएगा । इन दोनों प्रचार संख्याओं में से जिसके अनुसार अखबारी कागज की खपत अधिक होगी उसी के आधार पर मूल हकदारी निश्चित की जाएगी । इसके अलावा अखबारी कागज देने की नीति से सम्बद्ध सार्वजनिक सूचना की टिप्पणी संख्या सात को शर्तों के अनुसार मान्य वृद्धि की भी अखबारी कागज देने की मूल हकदारी का निश्चय करते हुए ध्यान में रखा जाएगा । उपरोक्त नीति की घोषणा सार्वजनिक सूचना संख्या आई टी सी (पी एन)/71 तिथि 7-4-1971 को की गई थी 6 अखबारी कागज की हकदारी की पूर्ति उपर्युक्त पैरा पांच की शर्तों के अनुसार आवेदकों के नाम आयात लाइसेंस (सों) या प्राधिकरण (णों) को जारी कर निम्नलिखित तरीके से की जायेगी :— |

| वार्षिक हकदारी | आयातित अखबारी कागज की स्वीकृत मात्रा | नैपा कारखाने द्वारा निर्मित देशी अखबारी कागज की स्वीकृत मात्रा | मुक्त संसाधनों से सीधे लाइसेंस द्वारा प्राधिकृत स्वीकृत मात्रा | सूचीबद्ध आयातों से स्वीकृत मात्रा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | मानक अखबारी कागज तथा देशी अखबारी कागज | | |
| दैनिक समाचार पत्र (उनके रविवारीय संस्करणों के साथ) | | | | |
| (क) 100 टन से कम | 100 प्रतिशत | कुछ भी नहीं | 100 प्रतिशत | कुछ भी नहीं |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| (ख) 100 टन या उससे अधिक किन्तु 400 टन से कम | 100 प्रतिशत | कुछ भी नहीं | भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा निश्चय किया जाना है :- | |
| (ग) 400 टन या उससे अधिक किन्तु 100 टन से कम । | 90 प्रतिशत | 10 प्रतिशत | | |
| (घ) 100 टन या उससे ऊपर, किन्तु 200 टन से कम । | 85.5 प्रतिशत | 17.5 प्रतिशत | | |
| (ङ) 2000 टन और उससे ऊपर | 75 प्रतिशत | 25 प्रतिशत | | |
| नियतकालिक पत्र | | | | |
| (क) 100 टन से कम | 100 प्रतिशत | कुछ भी नहीं | 100 प्रतिशत | कुछ भी नहीं |
| (ख) 100 टन से ऊपर | 100 प्रतिशत | कुछ भी नहीं | भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा निश्चय किया जाना है । | |
| चमकीला (ग्लेज्ड) अखबारी कागज | | | | |
| सारी हकदारी | 100 प्रतिशत | कुछ भी नहीं | 100 प्रतिशत | कुछ भी नहीं |

टिप्पणी :—

1. 'मुक्त संसाधनों' से लाइसेंस प्राप्त नामक अखबारी कागज का आयात समाचारपत्रों को भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा विदेश स्थित विशिष्ट संभरकों के साथ किए गए ठेकों के अनुसार करना पड़ेगा । चूंकि संभरक 25.00 टन से कम का आर्डर स्वीकार नहीं करते इसलिए 25.00 टन से कम की हकदारी वाले समाचारपत्रों को एक सीधा लाइसेंस दिया जाएगा बशर्ते कि वे निर्धारित आयातक के द्वारा आयात की व्यवस्था करें तथा 'जे' फार्म में उसका उल्लेख करें । अन्यथा, उन्हें भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड से अखबारी कागज पाने की स्वीकृति दे दी जाएगी ।

2. (क) जो नियतकालिक पत्र चमकीला (ग्लेज्ड) अखबारी कागज इस्तेमाल करते हैं उन्हें चमकीला/रोटोग्रेव्युर अखबारी कागज उतना ही दिया जाएगा जितने के लिए वे 1971–72 में हकदार थे । उनकी हकादारी की शेष मात्रा की पूर्ति अनग्लेज्ड आयातित अखबारी कागज से

की जाएगी । ग्लेज्ड/रोटो ग्रेच्युर अखबारी कागज ऐसे नियतकालिक पत्रों को भी 4 पृष्ठों के लिए दिया जाएगा जिन्हें कभी ऐसा अखबारी कागज या आर्ट पेपर नहीं दिया गया । इन को ऐसा अखबारी कागज टिप्पणी 5 के अधीन उनकी निम्नांकित उनकी बुनियादी हकदारी के अनुसार दिया जाएगा ।

(ख) 55 ग्राम किस्म का इस्तेमाल करने वाले नियतकालिक पत्रों की पूरी हकदारी की पूर्ति रोटो-ग्रेच्युर देकर की जायेगी । 60 ग्राम किस्म का इस्तेमाल करने वाले नियतकालिक पत्रों की पूरी हकदारी की पूर्ति ग्लेज्ड अखबारी कागज देकर की जायेगी ; बशर्ते कि पूरी हकदारी 100 टन से कम हो । अन्य पत्रों को ग्लेज्ड (60 ग्राम) और रोटोग्रेच्यूर (55 ग्राम) बराबर बराबर मात्रा में दिया जाएगा ।

3. सभी श्रेणियों के लिए अखबारी कागज केवल रीलों में दिया जाएगा । जिन समाचारपत्रों की हकदारी 25 टन तक है उन्हें रीलों को शीटों में बदलने के लिए मानक अखबारी कागज की 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त मात्रा दी जाएगी ।

4. नेपा अखबारी कागज सामान्यत : 10 टन से कम मात्रा में नहीं दिया जाएगा ।

5. हकदारी के अनुसार अखबारी कागज का जो आवंटन निश्चित किया गया है, यह विदेशी मुद्रा या अखबारी कागज या उनमें किसी एक या दोनों की उपलब्धता पर निर्भर है । ऐसी स्थिति में, जब किसी एक या दोनों में कमी हो जाये, तो उसमें उपयुक्त कमी कर दी जाएगी ।

6. मानक अखबारी कागज और नेपा कागज के लिए भी हकदारी का हिसाब 53 ग्राम वास्तविकता पर लगाया जाएगा ? नेपा अखबारी कागज की हकदारी का अतिरिक्त 10 प्रतिशत का जो इस प्रकार हिसाब लगाया गया है वह अधिक ग्राम की क्षतपूर्ति के रूप में दिया जाएगा ।

7. उन आवेदन-पत्रों के संबंध में जो 1 सितम्बर, 1972 के बाद प्राप्त होंगे, उनकी हकदारी की कटौती निम्नलिखित प्रकार से की जाएगी :—

(1) 30-11-1972 तक प्राप्त किए गए आवेदन-पत्र.....10 प्रतिशत

(2) 30-11-1972 के बाद और 1-2-1973 तक प्राप्त किए गए आवेदन-पत्र.....20 प्रतिशत

(3) 1-2-1973 के बाद और 31-3-1973 तक प्राप्त आवेदन-पत्र—40 प्रतिशत

8. मानक अखबारी कागज तथा नेपा अखबारी कागज के लिये कुल हकदारी का हिसाब 53 ग्राम वास्तविक पर लगाया जाता है । इसमें हकदारी का 10 प्रतिशत भी शामिल है जो आने-जाने में या मशीन कक्ष में खराब हो जाने वाले अखबारी कागज की क्षतिपूर्ति के लिये दिया जाता है । खराब हो जाने वाले अखबारी कागज की क्षतिपूर्ति के लिए दी जाने वाली यह मात्रा अब घट कर 7 प्रतिशत हो गई है ।

7. वृद्धि

आवेदन-पत्र देने पर निम्नलिखित विधि से दैनिक समाचारपत्रों को प्रचार संख्या में वृद्धि करने की स्वीकृति उस आधार पर दी जाएगी जिसके अनुसार टिप्पणी-(पांच) के अधीन मूल हकदारी निश्चित हो गई है :—

(क) दैनिक समाचार-पत्र

| | |
|---|---|
| (1) दैनिक समाचार-पत्र जिनकी प्रचार संख्या 1,00,000 प्रतियों तक है । | उनकी मूल हकदारी की 10 प्रतिशत अधिक की वृद्धि । यह वृद्धि आयतित अखबारी कागज में दी जाएगी । |
| (2) दैनिक समाचार-पत्र जिनकी प्रचार संख्या 1,00,000 प्रतियों से ज्यादा है । | उनकी मूल हकदारी 3 प्रतिशत अधिक की वृद्धि । यह वृद्धि आयातित अखबारी कागज में दी जाएगी। |

(ख) नियतकालिक पत्र

| | |
|---|---|
| (1) नियतकालिक पत्र जिनकी प्रचार संख्या 1,00,000 प्रतियों तक है । | उनकी मूल हकदारी से 10 प्रतिशत अधिक की वृद्धि । यह वृद्धि आयतित अखबारी कागज में दी जाएगी । |
| (2) नियतकालिक पत्र जिनकी प्रचार संख्या 1,00,000 प्रतियों से अधिक है । | उनकी मूल अहकदारी से 5 प्रतिशत अधिक की वृद्धि । यह वृद्धि आयतित अखबारी कागज में दी जाएगी । |

टिप्पणी :—

1. विशिष्ट अनुरोध पर साप्तहिक पत्रों में वृद्धि की स्वीकृति उपरोक्त (सात ख) के आधार पर मान्य वृद्धि के बदले स्वीकार की जाएगी अर्थात् साप्तहिक पत्रों के पृष्ठों में मानक अकार के दो पृष्ठों की वृद्धि की जा सकेगी, किन्तु इस वृद्धि से मानक आकार के पृष्ठों की संख्या बढ़कर 16 से अधिक नहीं होनी चाहिए । यह वृद्धि टिप्पणी—5 की शर्तों के अनुसार निर्धारित बुनियादी हकदारी पर आधारित पृष्ठ संख्या होगी ।

2 जो नियतकालिक पत्र चमकीला अखबारी कागज इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अनग्लेज्ड आयातित अखबारी कागज के रूप में वृद्धि दी जाएगी ।

(ग) टिप्पणी 5 के अधीन औसत पृष्ठ संख्या पर निर्धारित मूल हकदारी की 20 प्रतिशत वृद्धि दैनिक पत्रों को आवेदन करने पर स्वीकृत की जाएगी किन्तु उनके पृष्ठों की संख्या में 10 से अधिक की वृद्धि नहीं होनी चाहिये ।

(घ) उपयुक्त (क), (ख) और (ग) में उल्लेखित वृद्धि के अतिरिक्त वर्तमान दैनिक समाचार-पत्रों और नियतकालिक पत्रों को वृद्धि की स्वीकृति दी जाएगी, भले ही इन वृद्धियों के स्वीकृत किये जाने पर उनकी हकदारी उस हकदारी से कम है जिसके लिए वे नीचे की टिप्पणी (नौ) के अधीन दैनिक नियतकालिक के रूप में स्वीकार्य होते ।

आठ—टिप्पणी (सात) में उल्लखित आवंटन को छोड़कर, समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों की प्रचार संख्या, पृष्ठ संख्या, पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आवधिकता में वृद्धि के कारण, उन्हें टिप्पणी (पांच) में निर्धारित हकदारी से अधिक अखबारी कागज नहीं दिया जाएगा। लेकिन लाइसेंस अविध के लिए स्वीकृत, अखबारी कागज की मात्रा के भीतर प्रत्येक समाचार पत्र नियतकालिक पत्र को अपने पृष्ठों की संख्या तथा पृष्ठ-क्षेत्रफल और आवधिकता घटाकर प्रचार संख्या बढ़ाने की स्वतंत्रता होगी। किन्तु अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए प्रचार संख्या घटाकर पृष्ठों की संख्या, पृष्ठों के क्षेत्रफल और अवधिकता बढ़ाने की स्वतंत्रता नहीं होगी। टिप्पणी सात (ग) के अधीन स्वीकृत वृद्धियों का लाभ उठाकर दैनिक समाचार पत्र ये हेर-फेर नहीं कर सकेंगे। इनवृद्धियों से केवल पृष्ठों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, प्रचार संख्या नहीं। समान स्वामित्व इकाई को यह अनुमति नहीं होगी कि वे एक इकाई का स्वीकृत कोटा अपने विभिन्न प्रकाशनों के लिए इस्तेमाल कर लें चाहे भले ही वे प्रकाशन उसी शीर्षक/नाम से क्यों न हों।

टिप्पणी : समाचार पत्र/नियतकालिक पत्र टिप्पणी संख्या 5 और 7 के अधीन दिये गये अखबारी कागज से अधिक मात्रा में अखबारी कागज की खपत या उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अनिवार्य वस्तु कानून 1955 की धारा तीन के अधीन जारी किये गये अखबारी कागज नियंत्रण आदेश संख्या सी एच/टी–18(ए)/62 तिथि 17–1–1962 के खण्ड (3) और उपखण्ड (3)(ए) (संशोधन संख्या 8–26–62–टीन एन पी तिथि 29–12–1962) को एक साथ पढ़ने पर यह व्यवस्था स्पष्ट हो जाती है

9(क)—नये समाचार पत्रों और नियतकालिक पत्रों को अखबारी कागज के बारे में अनुमति

नये दैनिक समाचार पत्रों और नियतकालिक पत्रों के प्रकाशनों को प्रकाशन शुरू करने से पहले भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार से यह अनुमति लेनी होगी कि अखबारी कागज मिल सकता है। अखबारी कागज देने की नीति के अधीन यह अनुमति प्राप्त करने के लिये आवेदन करते समय परिशिष्ट संख्या 4 के अनुसार सूचनाएं देनी होंगी।

(ख) नये दैनिक समाचार पत्र

नये दैनिक समाचार पत्रों को प्रकाशन शुरु होने के पहले तीन महीनों में इतना अखबारी कागज दिया जाएगा जिससे कि प्रति प्रकाशन दिवस के अनुसार मानक आकार (393.75 वर्ग इंच) के आठ पृष्ठों के अखबार की प्रचार संख्या दस हजार तक कर सकें। पहले तीन महीनों के लिए राज्य व्यापार निगम के स्टाक से विदेशी अखबारी कागज दिया जाएगा। इसके लिये आवेदनकर्ताओं को वास्तविक उपयोक्ता आवेदन ('जे' फार्म) के दसवें कालम के अनुसार मांगी गई कागज की मात्रा के मूल्य के 75 प्रतिशत के बाण्ड भरने होंगे। किसी अनुसूचित बैंक से इन बाण्डों की गारण्टी दिलानी होगी। ये बाण्ड इसलिये भरने होंगे ताकि यह निश्चित व्यवस्था हो सके कि दिया हुआ विदेशी अखबारी कागज नया दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार या आयात-निर्यात मुख्य नियंत्रक को लिखित गवाही से यह विश्वास हो जाने पर कि अखबारी कागज, सम्बद्ध समाचार पत्र के प्रकाशन के लिये इस्तेमाल किया गया है यह बाण्ड रद्द कर दिया जाएगा। दैनिक समाचार पत्र के नियमित रूप से तीन महीनों तक प्रकाशित होने के बाद नये दैनिक समाचार पत्र को ऐसा प्रमाण (इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट दो में दिये गये रूप में चार्टर्ड लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र) देना होगा जिससे पहले तीन महीनों की औसत प्रचार संख्या, औसत पृष्ठ क्षेत्र और मुद्रित पृष्ठों की संख्या मालूम हो सके। नये समाचार पत्रों के तीन महीने के बाद इस अवधि में प्राप्ति वास्तविक औसात प्रचार संख्या और

वास्तव में मुद्रित औसत पृष्ठ संख्या और पृष्ठ क्षेत्र के आधार पर अखबारी कागज की मात्रा निश्चित की जायेगी किन्तु यह मात्रा मानक आकार के आठ पृष्ठों की 15,000 प्रतियों से अधिक प्रतियों के लिये नहीं होगी :

**(ग) नये साप्ताहिक, त्रिसाप्ताहिक, द्विसाप्ताहिक पाक्षिक और मासिक नियतकालिक पत्र**

नये साप्ताहिक, त्रिसाप्ताहिक, द्विसाप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक नियतकालिक पत्रों को प्रकाशन शुरू होने के पहले तीन महीनों में इतना अखबारी कागज दिया जाएगा जिससे के प्रति प्रकाशन दिवस के अनुसार मानक आकार (393.75 वर्ग इंच) के 8 पृष्ठों के नियतकालिक पत्र की प्रचार संख्या दस हजार तक कर सकें। पहले तीन महीनों के लिये राज्य व्यापार निगम के स्टाक से विदेशी अखबारी काजज दिया जाएगा । इसके लिए आवेदनकर्ताओं को वास्तविक उपयोक्ता आवेदन (जे फार्म) के दसवें कालम के अनुसार मांगी गई कागज की मात्रा के मूल्य के 75 प्रतिशत के बाण्ड भरने होंगे । किसी अनुसूचित बैंक से इन बाण्डों की गारंटी दिलानी होगी । ये बाण्ड इसलिये भरने होंगे ताकि यह निश्चित व्यवस्था हो सके कि दिया हुआ विदेशी अखबारी कागज नया दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है । भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार या आयात निर्यात मुख्य नियंत्रक को लिखित गवाही से यह विश्वास हो जाने पर कि अखबारी कागज, सम्बद्ध समाचार पत्र के प्रकाशन के लिये इस्तेमाल किया गया है यह बाण्ड रद्द कर दिया जाएगा । नियमित रूप से तीन महीनों तक प्रकाशित होने के बाद नये साप्ताहिक, त्रिसाप्ताहिक, द्विसाप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक नियतकालिक पत्रों को ऐसा प्रमाण (इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट दो में दिये गये रूप में चार्टर्ड लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र) देना होगा जिसके पहले तीन महीनों की औसत प्रचार संख्या, औसत पृष्ठ क्षेत्र और मुद्रित पृष्ठों की संख्या मालूम हो सके । नये समाचार पत्रों को तीन महीने के बाद इस अवधि में प्राप्त वास्तविक औसत प्रचार संख्या और वास्तव में मुद्रित औसत संख्या और पृष्ठ क्षेत्र के आकार पर अखबारी कागज की मात्रा निश्चित की जायेगी किन्तु यह मात्रा मानक आधार के आठ पृष्ठों की 15,000 से अधिक प्रतियों के लिए नहीं होगी किन्तु पाक्षिक और मासिक नियतकालिक पत्रों के लिये अखबारी कागज की मात्रा मानक आकार के 16 पृष्ठों की 15,000 से अधिक प्रतियों के लिये नहीं होगी ।

**(घ) नये नियतकालिक पत्र साप्ताहिक, त्रिसाप्ताहिक, द्विसाप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक से भिन्न**

ऐसे नियतकालिक पत्रों को प्रकाशन के पहले तीन महीनों के लिये अखबारी कागज नहीं दिया जायेगा । तीन महीने तक नियमित रूप से प्रकाशित होने के बाद ऐसे नियतकालिक पत्र को वास्तविक उपयोक्ता फार्म पर आवेदन करना चाहिए । इस आवेदन के साथ परिशिष्ट चार में मांगी गई सूचना तथा चार्टर्ड लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र भी देना चाहिए । इस प्रमाण पत्र से यह पता चलना चाहिये कि प्रकाशन के पहले तीन महीनों में पत्र की औसत प्रचार संख्या कितनी हो गई तथा मुद्रित पृष्ठों तथा पृष्ठ क्षेत्र की औसत क्या रहा । नये नियतकालिक पत्रों को लाइसेंस देने की शेष अवधि के लिये पहले तीन महीनों की वास्तविक औसत प्रचार संख्या और वस्तुतः मुद्रित औसत पृष्ठ संख्या तथा औसत पृष्ठ क्षेत्र के आधार पर अखबारी कागज देने का निश्चय किया जाएगा किन्तु अखबारी कागज की यह मात्रा इन नियतकालिक पत्रों के मानक आकार के 16 पृष्ठों की 15,000 प्रतियों से अधिक प्रतियों के लिए नहीं होगी ।

(ङ) जिन प्रकाशित समाचार पत्रों ने 1971–72 में अखबारी कागज इस्तेमाल करने की अनुमति या लाइसेंस नहीं लिया है उन पर उपरोक्त पैरा 9 (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) की शर्तें लागू होंगी ।

10. किसी समान स्वामित्व वाले एकक द्वारा प्रकाशित ऐसे समाचार पत्र (पत्रों) के लिये अखबारी कागज नहीं दिया जायेगा जिन्हें अखबारी कागज का कोटा नहीं दिया गया था। समान स्वामित्व वाले एकक द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले या अपने अधिकार में लिये गये नये समाचार पत्र (पत्रों) के लिये अखबारी कागज नहीं दिया जायेगा, न ही ऐसे एककों को प्राप्त अखबारी कागज के कोटे में से नया समाचार पत्र (पत्रों)/नियतकालिक पत्र (पत्रों) को प्रकाशित करने दिया जायेगा।

**टिप्पणी** :—इस सूचना के लिए "समान स्वामित्व एकक" का अभिप्राय ऐसे समाचार पत्र संगठन या व्यापारिक संस्था से है जो दो या इससे अधिक समाचारप्रधान पत्र प्रकाशित करता है और जिनमें से कम से कम एक दैनिक समाचार पत्र है, चाहे ये समाचार पत्र किसी भी स्थान से और किसी भी भाषा में क्यों न प्रकाशित होते हों।

11. निम्नलिखित वर्गों के समाचार पत्रों को अखबारी कागज नहीं दिया जायेगा चाहे उनका वर्गीकरण समाचारपत्रों में क्यों न हो—

(क) मुख्य रूप से सेवा या सामान की बिक्री बढ़ाने के लिये प्रकाशित समाचार पत्र।

(ख) व्यक्तियों/फर्मों/औद्योगिक संस्थाओं द्वारा प्रकाशित निजी पत्र पत्रिकाएं।

(ग) मूल्य सूचियां तथा सूची पत्र।

(घ) मुफ्त बांटा जाने वाला साहित्य।

(ङ) कथा साहित्य।

(च) रेस (आवधावन प्रतियोगिता) के गाइड।

(छ) विद्यालयों/महाविद्यालयों की पत्रिकाएं।

(ज) अध्यापन पत्रिकाएं/अध्यापन गाइड।

12. यदि किसी समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र ने 1971–72 में स्वीकृत पूरी मात्रा—जिसमें मध्यावधि चुनाव के दौरान बढ़ाया गया कोटा भी शामिल है—का उपयोग नहीं किया है तो बची हुई यह मात्रा 1972–73 की स्वीकृत मात्रा में शामिल कर लिया जायेगा। समाचार पत्रों/नियतकालिक पत्रों को इस सार्वजनिक सूचना के दूसरे और पांचवें परिशिष्टों में दिये गये फार्मों के अनुसार 1971–72 के वर्ष के लिये मासिक प्रचार संख्या, पृष्ठ संख्या, पृष्ठ क्षेत्र और प्रकाशन-दिवस-संख्या का विवरण भेजना चाहिए जिसे देख भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार यह पता लगा सकें कि 1971–72 में कितने अखबारी कागज की खपत हुई। 1971–72 की खपत इस अवधि के वास्तविक प्रकाशन दिवसों के आधार पर निश्चित की जायगी। उपरोक्त परिशिष्ट दो में दी गई सूचनाएं किसी चार्टर्ड लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए। यदि किसी समाचार पत्र/नियतकालिक पत्र की प्रचार संख्या प्रति प्रकाशन दिवस 2,000 प्रतियों से कम है तो उसे चार्टर्ड लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है।

**टिप्पणी** :—समाचार पत्रों द्वारा इस्तेमाल की गई/स्टाफ में जमा अखबारी कागज की मात्रा का हिसाब लगाते समय निर्यात संवर्धन आदि योजनाओं के अधीन 1971–72 में दिये गये अखबारी कागज का भी हिसाब रखा जायेगा। इससे सम्बद्ध विवरण सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट पांच और वास्तविक उपभोक्ता आवेदन (अ पाने) के 11वें और 12वें खाने में दिया जाना चाहिए।

13. अखबारी कागज देने या इसकी खपत का हिसाब लगाने के लिए समाचार पत्र की मुफ्त भेजी गई प्रतियों, बिना बिकी लौटाई गई प्रतियों और ऐसी प्रतियों का भी हिसाब लगाया जायेगा जो न तो मुफ्त दी गई हैं और न ही बिकी हैं, बशर्ते इनकी मात्रा मुद्रण-आदेश के उचित प्रतिशत के अनुसार हो और किसी भी हालत में निम्नलिखित सीमाओं से अधिक न हो :—

| प्रचार संख्या | दैनिक त्रिसाप्ताहिक और द्विसाप्ताहिक | साप्ताहिक और पाक्षिक | मासिक, त्रमासिक और अन्य |
|---|---|---|---|
| 2,500 तक . . . | 10 प्रतिशत | 20 प्रतिशत | 25 प्रतिशत |
| 2,500 और 5,000 के बीच | 10 प्रतिशत | 15 प्रतिशत | 20 प्रतिशत |
| 5,000 और 10,000 के बीच . | 10 प्रतिशत | 10 प्रतिशत | 15 प्रतिशत |
| 10,000 से अधिक . . | 5 प्रतिशत | 5 प्रतिशत | 10 प्रतिशत |

14. जिन समाचार पत्रों/नियतकालिक पत्रों ने प्रेस और पुस्तक पंजीकरण कानून 1867 की धारा 11 ख और समाचार पत्र पंजीकरण (केन्द्रीय) नियम 1956 के अधीन 1971-72 में प्रकाशित प्रतियां नहीं भेजी हैं उनके बारे में उपरोक्त 12वीं टिप्पणी के अनुसार अखबारी कागज की खपत में निम्नलिखित कटौती की जायेगी :—

50 प्रतिशत से अधिक किन्तु 75 प्रतिशत से कम नियमितता . 25 प्रतिशत

25 प्रतिशत से अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम नियमितता] . 50 प्रतिशत

जिन समाचार पत्रों की नियमितता 25 प्रतिशत से कम है उन्हें आमतौर पर कोई कोटा नहीं दिया जायेगा ।

15. जिन छोटे अखबारों को अखबारी कागज मिल सकता है और जो 40.00 टन वार्षिक से कम मात्रा के लिये लाइसेंस लेना चाहते हैं उन्हें आयात लाइसेंस फीस नहीं देनी होगी और न ही आय कर प्रमाणीकरण संख्या देनी होगी । किन्तु आर्ट पेपर के कोटे के लिये दिये जाने वाले आवेदनों पर यह छूट लागू नहीं होगी ।]

16. यदि कोई वास्तविक उपयोगकर्ता मिले हुए लाइसेंस से अखबारी कागज या आर्ट पेपर का आयात नहीं करता तो वह ऐसी किसी फर्म या व्यक्ति के नाम अधिकार पत्र जारी करने को लिख सकता है जिसके द्वारा वह यह कागज आयात करना चाहता है बशर्ते उस फर्म या व्यक्ति के पास अखबारी कागज का कोटा सर्टिफिकेट हो अथवा वह माल भेजने वाली विदेशी कम्पनी का सोल एजंट हो ।]

17. **आर्ट पेपर**—(क) जिन नियतकालिक पत्रों को 1971–72 में आवरण पृष्ठों या अन्दर के पृष्ठों के लिये आर्ट पेपर के लाइसेंस दिये गये थे उन्हीं को आवरण पृष्ठों और/या अन्दर के पृष्ठों के लिये आर्ट पेपर मंगाने के वास्ते लाइसेंस दिये जायेंगे ।

(ख) अखबारी कागज पर छपे जिन नियतकालिक पत्रों को आवरण पृष्ठों के लिये आर्ट पेपर का लाइसेंस दिया गया है और जिन पत्रों की पृष्ठ संख्या 100 प्रति प्रकाशन दिवस है उनके आवरण पृष्ठ का प्रति वर्गमीटर भार 100 ग्राम से अधिक नहीं होगा और जिन नियतकालिक पत्रों की पृष्ठ संख्या 100 से अधिक है उनके आवरण पृष्ठ का भार 135 ग्राम से अधिक नहीं होगा। आर्ट पेपर पर छपे नियतकालिक पत्रों के बारे में प्रत्येक पत्र के मामले पर विचार करके भारी आवरण पृष्ठ मंगाने का लाइसेंस दिया जा सकेगा; इस बारे में भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम होगा।]

(ग) आवरण पृष्ठों और/या अन्दर के पृष्ठों के लिये आर्ट पेपर की मात्रा का निर्धारण 1971–72 की औसत प्रचार संख्या तथा आवरण पृष्ठों और/या अन्दर के पृष्ठों की संख्या के आधार पर किया जायेगा। 1971–72 में जितना देशी और विदेशी आर्ट पेपर दिया गया था उसके अधिक नहीं दिया जायेगा। इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट 2 के अनुसार चार्टर्ड लेखा परीक्षक के प्रमाण पत्र के अतिरिक्त इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट 3 के अनुसार भी चार्टर्ड लेखा–परीक्षक का प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए।

18. आर्ट पेपर के लाइसेंस वार्षिक आधार पर दिये जायेंगे। अप्रैल, 1972 से मार्च, 1973 तक के वर्ष की आयात निर्यात नीति पुस्तक (रेड बुक) में वार्षिक लाइसेंसों के लिए जो शर्तें निर्धारित हैं वही शर्तें आर्ट पेपर के लाइसेंसों पर भी लागू होंगी। चिकने (ग्लेज्ड) और स्टैण्डर्ड अखबारी कागज के लाइसेंस भी वार्षिक आधार पर दिये जायेंगे। किन्तु इन लाइसेंसों पर यह शर्त लागू होगी कि लाइसेंस में निर्धारित मात्रा और लागत का आधा कागज 30 सितम्बर, 1972 तक इस्तेमाल किया जा सकेगा। शेष 50 प्रतिशत कागज का उपयोग करने के लिये वास्तविक उपयोक्ता को चिकने (ग्लेज्ड) और स्टैण्डर्ड अखबारी कागज के लाइसेंस प्रमाणीकरण के लिये लौटाने की आवश्यकता नहीं होगी। चिकने और स्टैण्डर्ड अखबारी कागज के जिन लाइसेंसों में कागज का मूल्य 20 हजार रुपये तक का होगा उन्हें किसी भी समय लाइसेंस की निर्धारित अवधि के अन्दर एक ही बार में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इन पर 30 सितम्बर, 1972 तक लाइसेंस की आधी मात्रा मंगाने की शर्त लागू नहीं होगी।

19. भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार आवश्यक होने पर इस सार्वजनिक सूचना में छोटे-मोटे परिवर्तन कर सकेंगे।

## परिशिष्ट 2

**अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 की अवधि के लिए प्रचार संख्या आदि के संबंध में चार्टर्ड एकाउंटेंट के प्रमाण-पत्र का फार्म**

(यह प्रमाण-पत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट के सरनामे पर टाइप किया जाए)

1. समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र का नाम
2. प्रकाशन का स्थान
3. भाषा
4. आवर्तिता (पिरियोडिसिटी)

| | अप्रैल 71 | मई 71 | जून 71 | जुलाई 71 | अगस्त, 71 | सितंबर 71 | अक्टूबर 71 | नवम्बर 71 | दिसंबर 71 | जनवरी 72 | फरवरी 72 | मार्च 72 | 1/4/71 से 31/3/72 तक की अवधि का औसत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (क) 1/4/71 से 31/3/72 तक की प्रति प्रकाशन दिवस के हिसाब से छापी गई प्रतियों की औसत संख्या (माहवार) | | | | | | | | | | | | | |
| (ख) 1/4/71 से 31/3/72 तक प्रति प्रकाशन दिवस के हिसाब से बेची गई प्रतियों की औसत संख्या (माहवार) | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ग) 1/4/71 से 31/3/72 तक प्रति प्रकाशन दिवस के हिसाब से मुफ्त बांटी गई प्रतियों (मानार्थ, वाउचर, विनिमय, बोनस, नमूने और कार्यालय प्रतियों समेत) की औसत संख्या (माहवार) | | | | | | | | | | | | | |
| (घ) अनबिकी और अन्य मुद्रित प्रतियों की औसत संख्या (माहवार) जो (ख) और (ग) में शामिल नहीं की गई । | | | | | | | | | | | | | |
| (ङ) 1/4/71 से 31/3/72 तक समाचार पत्र/नियत-कालिक पत्र के पृष्ठों का औसत आकार (वर्ग इंचों में) (माहवार) | | | | | | | | | | | | | |
| (च) 1/4/71 से 31/3/72 तक प्रति प्रकाशन दिवस के हिसाब से समाचारपत्र/ नियतकालिक पत्र के पृष्ठों की औसत संख्या (माहवार) | | | | | | | | | | | | | |

(छ) 1/1/71 से 31/3/72 तक प्रकाशन दिवसों की वास्तविक संख्या (महावार)

प्रकाशक के हस्ताक्षर.....

तिथि.....

चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण-पत्र

मैंने/हमने 1/4/71 से 31/3/72 तक की अवधि तक ..... में प्रकाशित.....

(पत्र का नाम, भाषा और आवर्तिता)

के हिसाब किताब की जांच कर ली है और अपने लिए आवश्यक सभी जानकारी और विवरण प्राप्त कर लिया है। मेरे/हमारे विचार में 1/4/71 से 31/3/72 तक की अवधि के लिए दिया गया उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास तथा हिसाब किताब आदि में मुझे/हमें दिखाए गए विवरण के अनुसार प्रचार-संख्या, पृष्ठों की संख्या, आकार, और प्रकाशन दिवसों की संख्या का सही विश्लेषण है।

तिथि .....

(चार्टर्ड एकाउंटेंट की मुहर)

हस्ताक्षर.....

(पूरा पता)

चार्टर्ड एकाउंटेंट

पंजीकरण संख्या

पता

---

टिप्पणी :—यदि माहवारी औसत प्रचार संख्या 2,000 प्रतियों से अधिक हो तो अलग से प्रत्येक प्रकाशन दिवस के हिसाब से मुद्रित, बेची गईं, मुफ्त बांटी गई आदि प्रतियों की औसत संख्या; पृष्ठ संख्या और पृष्ठ क्षेत्र के बारे में चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए। यदि माहवारी प्रचार संख्या 2,000 प्रतियां या इससे कम हो तो उपरोक्त परिशिष्ट का विवरण प्रकाशक के हस्ताक्षर से ही भेजा जाना चाहिए।

परिशिष्ट 3

लाइसेंस अवधि अप्रैल, 1971–मार्च, 1972 के दौरान.....

(पत्र का नाम, भाषा आवर्तिता और प्रकाशन का स्थान)

के प्रकाशन में आर्ट पेपर की खपत का विवरण

(चार्टर्ड एकाउंटेंट के सरनामे पर टाइप किया जाये)

| क्रम संख्या | आर्ट पेपर का वजन (ग्राम में) | आयातित | | देसी | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | परिमाण (टनों में) | मूल्य (रु० में) | परिमाण (टनों में) | मूल्य (रु० में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

प्रकाशक के हस्ताक्षर.....

पूरा नाम .....

स्थान .....

तिथि .....

चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण-पत्र

मैं/हम..... पंजीकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट.....

(पूरा पता) निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हम ने ..... से

(पता)

प्रकाशित..... के 1 अप्रैल, 1971 से 31 मार्च, 1972

(पत्र का नाम, भाषा और आवर्तिता)

तक की अवधि के हिसाब किताब की जांच कर ली है और मैं/हम प्रमाणित करता हूं/ करते हैं कि मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास तथा मुझ/हमें दी गई सूचना के अनुसार उपरोक्त विवरण उपरोक्त अवधि के दौरान उपरोक्त पत्र के प्रकाशन में आयातित और देसी आर्ट पेपर की खपत का सही विश्लेषण है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि औसत पृष्ठ संख्या, जिसके लिए आर्ट पेपर की खपत का ऊपर दावा किया गया है, परिशिष्ट–2 में दी गई जानकारी में शामिल/शामिल नहीं की गयी है ।

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम .....

चार्टर्ड एकाउंटेंट

की पंजीकरण संख्या .....

स्थान .....

तिथि .....

चार्टर्ड एकाउंटेंट (ों) की मुहर

## परिशिष्ट 4

टिप्पणी 1—अखबारी कागज के लिए आवेदन देने वाले सभी नये दैनिकों और नियतकालिक पत्रों के लिए निकासी सम्बन्धी निम्नलिखित विवरण दिया जाना आवश्यक है । ऐसे दैनिकों और नियतकालिक पत्रों को भी, जिन्हें पहले अखबारी कागज नहीं दिया गया है, यह विवरण देना है ।

2—निकासी सम्बन्धी यह विवरण, नवीनतम वास्तविक उपयोक्ता फार्म (फार्म 'ज') में आवेदन (2 प्रतियां) के साथ दिया जा सकता है ।

3—सभी उत्तर शब्दों में दिये जाने चाहिए । डैश और काटने का चिह्न का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए ।

1. समाचार पत्र का नाम

2. भाषा

3. आवर्तिता (दैनिक के मामले में यह बताया जाए कि इसका प्रकाशन सप्ताह में सातों दिन या कम दिन होता है । साप्ताहिक के मामले में यह सूचना दी जाए कि यह हर सप्ताह प्रकाशित होता है या महीने में चार बार)

4. पत्र का पूरा (डाक) पता

5. अगर पत्र का प्रकाशन शुरू नहीं हुआ हो, तो

(क) प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि

(ख) पत्र के एक पृष्ठ का प्रस्तावित आकार :—

(i) लम्बाई .....सेंटीमीटर

(ii) चौड़ाई .....सेंटीमीटर

(iii) पृष्ठ क्षेत्र .....वर्ग सेंटीमीटर

(ग) प्रस्तावित पत्र की प्रत्येक प्रति की औसत पृष्ठ संख्या

(घ) प्रस्तावित औसत प्रचार संख्या

(i) प्रस्तावित मुद्रित प्रतियों की औसत संख्या

(ii) अनुमानित बिक्री की प्रतियों की औसत संख्या

6. (क) मालिक का नाम और पता — नाम — पता

(ख) अगर मालिक कम्पनी, फर्म आदि हो तो उसके/उनके निदेशक (गण), शेयर होल्डर (गण), हिस्सेदार (गण) आदि+ का/के नाम और पता/पते

| नाम | पता | निदेशक, कम्पनी में हिस्सेदार शेयर का आदि जो प्रतिशत हों |
|---|---|---|
| | | |

(ग) क्या मालिक (कम्पनी, फर्म आदि) और ऊपर (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों में कोई इस समय या 1962 से कभी किसी अन्य पत्र++ के प्रकाशन से सम्बद्ध रहा है/रहे हैं ?

(घ) अगर ऊपर (ग) का उत्तर 'हां' है तो मालिक आदि का/के नाम और उन समाचारपत्रों का ब्यौरा, जिनसे वे सम्बद्ध रहे हैं, निम्नलिखित फार्म में दिया जाये :—

| क्रम सं० | मालिक आदि का नाम | जिस पत्र से सम्बद्ध हों, उसका ब्यौरा | | सम्बद्ध रहने की अवधि | | किस हैसियत से संबद्ध रहे | अगर कालम 4 में उल्लिखित कंपनी आदि में शेयर होल्डर हों तो शेयर का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | नाम, भाषा आवर्तिता और प्रकाशन का स्थान | अगर पत्र का संचालन कंपनी आदि से होता है | से | तक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

7. (क) क्या मालिक या ऊपर 6(ख) में उल्लिखित किसी व्यक्ति के परिवार का/के कोई सदस्य इस समय या 1962 से कभी किसी अन्य पत्र†† के प्रकाशन से सम्बद्ध रहा/रहे हों ।

(ख) अगर ऊपर (क) का उत्तर 'हां' है तो परिवार के सदस्यों के नाम और उन समाचारपत्रों का ब्यौरा, जिनसे सम्बद्ध रहे हों, निम्नलिखित फार्म में दिया जाये ।

(1)

| क्रम सं० | मालिक आदि का नाम, जिसके परिवार का सदस्य अन्य पत्र से सम्बद्ध हो | संबंधित परिवार के सदस्य का नाम | परिवार के सदस्य का पता | मालिक आदि से उसका सम्बन्ध |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

(11)

| क्रम सं० | परिवार के सदस्य का नाम | उन पत्रों का ब्यौरा जिनसे सम्बन्धित हों | | सम्बद्ध रहने की अवधि | | किस हैसियत से सम्बद्ध रहे | अगर कालम 4 में उल्लिखित कंपनी आदि में शेयर-होल्डर हो तो शेयर का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | नाम, भाषा आवर्तिता और प्रकाशन का स्थान | अगर पत्र का संचालन कंपनी आदि से होता हो तो कंपनी आदि का नाम | से | तक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

8. पत्र का वर्गीकरण** (विषयानुसार)

स्थान .....  प्रकाशक के हस्ताक्षर.....

तिथि .....  पूरा पता.....

†कालम 6 (ख)—निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों के बारे में जानकारी अपेक्षित है :—

| क्रम संख्या | स्वामित्व | जिस श्रेणी के व्यक्तियों के बारे में जानकारी अपेक्षित है |
|---|---|---|
| 1 | कम्पनी | (क) निदेशक |
| | | (ख) 10 प्रतिशत या अधिक शेयर वाले शेयर होल्डर |
| 2 | फर्म | हिस्सेदार |
| 3 | समिति | (क) 10 प्रतिशत या अधिक शेयर वाले सदस्य |
| | | (ख) प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी और सदस्य |
| 4 | संघ (एसोसिएशन) | प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी और सदस्य |
| 5 | ट्रस्ट | ट्रस्टी |

††कालम 6 (ग) और 7 (क).—निम्नलिखित श्रेणियों के पत्रों से सम्बद्ध होने के बारे में भी जानकारी दी जानी है :—

(1) पत्र का भिन्न संस्करण, जिसके लिए अखबारी कागज का आवेदन दिया जा रहा हो ।

(2) समान नाम के पत्र, जिसके लिए अखबारी कागज का आवेदन दिया जा रहा हो, लेकिन जिसकी भाषा और आवर्तिता भिन्न हो ।

कालम 7 (क).—इस विवरण के लिए परिवार के सदस्य से अभिप्राय परिवार के ऐसे सदस्यों (पिता, माता, पत्नी।पति, भाई, भाई की पत्नी, बहन, पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री आदि) से है जो संयुक्त परिवार के सदस्य हों या मालिक, निदेशक आदि पर आश्रित हो ।

कालम 8—पत्र इनमें से किसी वर्ग में दिखाया जाये :—

समाचार और सामयिक विषय; साहित्यिक और सांस्कृतिक; (धारावाहिक उपन्यास; धर्म और दर्शन; वाणिज्य और उद्योग; सेवाओं और सामान की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से निकाली गई पत्रिकाएं; प्रतिष्ठान पत्रिकाएं/व्यक्तियों/फर्मों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा निकाली गई पत्रिकाएं; मूल्य सूची और विवरण; दवा और चिकित्सा; फिल्म; समाज कल्याण; श्रम; शिक्षा; स्कूल/कालेज की पत्रिकाएं; अध्यापन पत्रिकाएं। अध्यापन गाइड; कानून और लोक प्रशासन; इंजीनियरी और टेक्नालाजी; कृषि और पशुपालन; बालोपयोगी; परिवहन और संचार; बीमा, बैंकिंग और सहकारिता; विज्ञान; वित्त और अर्थशास्त्र; महिला पत्रिकाएं; कला; रेडियो और संगीत; खेल-कूद; रेसिंग गाइड) ।

## परिशिष्ट 5

1/4/71 से 31/3/72 तक की अवधि में समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों के प्रकाशन में अखबारी कागज की खपत का विवरण

| क्रम संख्या | पत्र का नाम, भाषा, आवर्तिता और प्रकाशन का स्थान | अखबारी कागज की खपत (टनों में) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ग्लेज्ड | | रोटोग्रेव्यूर | अनग्लेज्ड (आयातित) | नेपा | कुल | विशेष |
| | | ग्राम | ग्राम | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

प्रकाशक के हस्ताक्षर.....

पूरा नाम .....

स्थान.....

तिथि.....

टिप्पणी :—नियमित हकदारी और निर्यात प्रोत्साहन संबंधी हकदारी से संबंधित अखबारी कागज की खपत का विवरण अलग से दिया जाए ।

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972